

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
पीठासीन अधिकारी- डॉ. अमित यादव, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या- 28/2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर- 2024/.....33

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
रिलायंस असेट री-कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय 11 तल, नोर्थ साईड, आर-टेक पार्क वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, गोरेगांव (ईस्ट), मुम्बई-400063 अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री तरुण मौर्य		1. अकबर अली खान पुत्र श्री बक्सु खान 2. शेखा बानो पत्नि अकबर अली खान 3. गफार खान पुत्र इब्राहिम खान निवासीगण- 156 चोराया पम्प के सामने हरसौर डेगाना नागौर राजस्थान 341515

आदेश

दिनांक: 6/2/2024

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ, जो दर्ज रजिस्टर किया गया।

वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि लक्ष्मी इण्डिया फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड ने अप्रार्थी/ऋणी को रुपये 3,00,000/- (अक्षरे तीन लाख रुपये मात्र) दिनांक 31.08.2019 को ऋण उपलब्ध करवाया गया। "लक्ष्मी इण्डिया फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड ने जरिये असाईनमेन्ट एग्रीमेन्ट दिनांकित 29.03.2023 से अप्रार्थी ऋणी का खाता प्रार्थी वित्तीय संस्था को स्थानान्तरित कर दिया गया था।" अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में आवासीय सम्पत्ति - 2340 ग्राम हरसौर पंचायत समिति डेगाना नागौर राजस्थान में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 1247 वर्ग फिट है तथा उक्त बंधक सम्पत्ति की चारो सीमाएं निम्नानुसार है- पूर्व में निकास एवं आम रास्ता, पश्चिम में भंवरू पुत्र बक्सू खान का मकान, उत्तर में सदीक पुत्र दिन खान का मकान, एवं दक्षिण में सफीखान पुत्र हसम खान का मकान है, जो प्रार्थी बैंक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एवं जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैंक के नियमानुसार भुगतान नहीं चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को दिनांक 05.07.2021 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में रुपये 5,53,392/- (अक्षरे रुपये पांच लाख तरेपन हजार तीन सौ बानवे मात्र) दिनांक 05.05.2023 तक व आगे का ब्याज व खर्च आदि सहित राशि बकाया निकलते हैं।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 09.08.2023 को रजिस्टर्ड दिये गये परन्तु इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पत्ति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर-अन्दर ऋण राशि रुपये 5,53,392/- (अक्षरे रुपये पांच लाख तरेपन हजार तीन



जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

सौ बानवे मात्र) दिनांक 05.05.2023 तक व आगे का ब्याज व खर्च आदि सहित राशि को जमा कराना था परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को बंधक सम्पत्ति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैंक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैंक सिक््योरिटीज एवं सिक््योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैंक सिक््योरिटीज सम्पत्ति का विवरण आवासीय सम्पत्ति - 2340 ग्राम हरसौर पंचायत समिति डेगाना नागौर राजस्थान में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 1247 वर्ग फिट है तथा उक्त बंधक सम्पत्ति की चारो सीमाएं निम्नानुसार है- पूर्व में निकास एवं आम रास्ता, पश्चिम में भंवरु पुत्र बकसू खान का मकान, उत्तर में सदीक पुत्र दिन खान का मकान, एवं दक्षिण में सफीखान पुत्र हसम खान का मकान है, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डोक्यूमेन्ट्स का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से रुपये 3,00,000/- (अक्षरे तीन लाख रुपये मात्र) दिनांक 31.08.2019 का ऋण प्राप्त किया था। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:- प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा, उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा, और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर -(क)उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमों को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानों को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध में पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के




जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

पक्ष मे बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व मे आवासीय सम्पति - 2340 ग्राम हरसौर पंचायत समिति डेगाना नागौर राजस्थान में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 1247 वर्ग फिट है तथा उक्त बंधक सम्पति की चारो सीमाएं निम्नानुसार है- पूर्व में निकास एवं आम रास्ता, पश्चिम में भंवरू पुत्र बकसू खान का मकान, उत्तर में सदीक पुत्र दिन खान का मकान, एवं दक्षिण में सफीखान पुत्र हसम खान का मकान है, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैंक के हक मे बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध मे संबंधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे उक्त संपति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे मे हो तो उन दस्तावेजो को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।



(डॉ.अमित यादव)
जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट
नागौर